

**मांग संख्या 80**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए ` 3200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 32,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए ` 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए ` 4000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

शिक्षा कर्मियों के वेतन भत्ते के लिए ` 1000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ` 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 5**

सुखद इंदिरा सहारा योजना हेतु ₹ 204.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,04,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु ₹ 2026.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,26,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7**

राष्ट्रीय परिवार सहायता हेतु ₹ 500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 8**

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन हेतु ₹ 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 9**

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन हेतु ₹ 890.68 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।  
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 8,90,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2515**

**मद क्रमांक 10**

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण हेतु राशि ₹ 200.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।